भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *197

गुरुवार, 4जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्ग-104 और राष्ट्रीय राजमार्ग-105पर कार्य

***197. श्री रामप्रीत मंडलः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-104 और राष्ट्रीयराजमार्ग-105 पर अनेक वर्षों से कार्य चल रहा हैऔर इस संबंध में नियत समय-सीमा बहुत पहलेही समाप्त हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधीब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नियत समय पर कार्य पूरानहीं करने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाईकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाईसंबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) -एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-104 और राष्ट्रीय राजमार्ग-105पर कार्य के संबंध में श्री रामप्रीत मंडल द्वारा पूछे गए दिनांक 04.07.2019 के मौखिक प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 104 की स्थिति : राष्ट्रीय राजमार्ग 104 के पुनर्स्थापन और उन्नयन का कार्य चार परियोजनाओं के माध्यम शुरू किया गया था, परंतु अलग अलग संविदा करारों के अनुसार निर्धारित तिथि तक ये कार्य पूरे नहीं किए जा सके। इनकी स्थिति इस प्रकार है:

(i) **खंड 1 [चकिया - शिवहर]** - 40 किमी लंबाई में से 36 किमी का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 4 किमी लंबाई पर निर्माण कार्य अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(ii)**खंड 2[शिवहर - सीतामढ़ी]**- 28.50 किमी लंबाई में से केवल 3.76 किमी के खंड का कार्य पूरा किया गया है। संविदाकार राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) की परिधि में है और वह वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति धीमी हो गयी है। मंत्रालय ने संविदा करार के अनुसार इस संविदाकार को दिनांक 15.05.2019 को एक सुधार अवधि (क्योर पीरियड) नोटिस जारी किया है और उसे 60 दिनों के अंदर दोषों का सुधार करने का निदेश दिया है।

(iii) **खड 3 (सीतामढ़ी - जयनगर)** - 77.10 किमी लंबाई में से केवल 17.88 किमी के खंड का कार्य पूरा किया गया है। संविदाकार राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) की परिधि में है और वह वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति धीमी हो गयी है। मंत्रालय ने संविदा करार के अनुसार इस संविदाकार को दिनांक 16.05.2019 को एक सुधार अवधि (क्योर पीरियड) नोटिस जारी किया है और उसे 60 दिनों के अंदर दोषों का सुधार करने का निदेश दिया है।

(iv) **खंड 4 (जयनगर - नाराहिया)** - 63.45 किमी लंबाई में से 37.75 किमी के खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है। अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण इसकी प्रगति बाधित हुई है। अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए मंत्रालय ने दो बाइपासों अर्थात जयनगर और नाराहिया को कार्य के दायरे से बाहर निकाल दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 105 की स्थिति : संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 105, अर्थात किमी 0.000 से किमी 53.760 तक का कार्य संविदा करार के अनुसार निर्धारित समय के अंदर पूरा कर लिया गया है।

****